

किरायानामा म्याद 29 वर्ष 11 माह व 29 दिन



YADVENDRA SINGH
Advocate
Regd. No. 6993/92
Civil Court, Khurja, bulandshahr



YADVENDRA SINGH
Advocate
Regd. No. 6993/92
Civil Court, Khurja, bulandshahr

Estamp No- :- IN-UP83163156847774V

Date :- 09 Aug 2023

किराया :- 1,200/- रुपये वार्षिक

स्टाम्प :- 320/- रुपये

हम सतनामी कन्या विद्या प्रसार समिति रुकनपुर, बुलन्दशहर, प्रतिष्ठित सदस्य श्रीमती रमादेवी पत्नी श्री देवेश कुमार जाति वैश्य निवासी ग्राम अरनिया खुर्द, परगना व तहसील खुरजा, जिला बुलन्दशहर Aadhar No. :- XXXX XXXX 3784, PAN :- AAIAS7054F, Mob. No. :- 8630415420 प्रथम पक्ष व सतनामी कन्या विद्या प्रसार समिति रुकनपुर, बुलन्दशहर, द्वारा संचालित सतनामी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी रुकनपुर, बुलन्दशहर प्रतिष्ठित सचिव देवेश कुमार पुत्र श्री नरेशचन्द्र जाति वैश्य निवासी ग्राम अरनिया खुर्द, परगना व तहसील खुरजा, जिला बुलन्दशहर Aadhar No. :- XXXX XXXX 4455, PAN :- AAIAS7054F, Mob. No. :- 8630415420 द्वितीय पक्ष हैं। जो कि प्रथम पक्ष ने अपनी समिति की भूमि जिसका क्षेत्रफल 2020 वर्ग मीटर निमित्त सतनामी कन्या विद्या प्रसार समिति रुकनपुर, बुलन्दशहर,

रमादेवी



देवेश कुमार



देवेश कुमार

द्वारा संचालित सतनामी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी रुकनपुर, बुलन्दशहर, जिसकी सीमायें पूर्व दिशा में आराजी प्रथम पक्ष, पश्चिम दिशा में भूमि महेन्द्रपाल शर्मा, उत्तर दिशा में भूमि शिशुपाल सिंह व दक्षिण दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ग्राम रुकनपुर, परगना व तहसील खुरजा, जिला बुलन्दशहर, जो भूमि संख्या 342 में से है, को मुझ प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को मु0 100/- रुपये मासिक किराये पर 29 वर्ष 11 माह व 29 दिन के लिए किराये पर दिया है और मुझ द्वितीय पक्ष ने निम्नलिखित शर्तों पर किराये पर लिया है :-

1. यह कि उक्त समिति की भूमि की किरायेदारी दिनांक 07-08-2023 ई0 से 29 वर्ष 11 माह व 29 दिन तक अर्थात् 05-08-2053 ई0 तक लागू रहेगी।
2. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त समिति की भूमि का किराया प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में प्रथम पक्ष को अदा करेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त समिति की भूमि में सतनामी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी रुकनपुर, बुलन्दशहर आवश्यकतानुसार जो निर्माण कराना चाहेगा, करा सकता है। जिसमें प्रथम पक्ष को कोई ऐतराज किसी प्रकार का नहीं होगा।
4. यह कि उक्त समिति की भूमि में द्वितीय पक्ष सतनामी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी रुकनपुर, बुलन्दशहर, विद्युत कनेक्शन ले सकता है तो विद्युत बिल का भुगतान द्वितीय पक्ष ही विद्युत विभाग को अदा करेगा।
5. यह कि उक्त समिति की भूमि का द्वितीय पक्ष सतनामी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी रुकनपुर, बुलन्दशहर, अपनी सुविधानुसार प्रयोग कर सकेगा।
6. यह कि उक्त समिति की भूमि में द्वितीय पक्ष किसी को पार्टनर नहीं बनायेगा, स्वयं कार्य करेगा और किसी को जैली किराये पर नहीं रखेगा। यदि द्वितीय पक्ष ने कोई जैली किरायेदार रखा तो वह काबिले बेदखली होगा।
7. यह कि उक्त समिति की भूमि में द्वितीय पक्ष यदि कोई निर्माण कराता है तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद सफाई पुताई व मरम्मत आदि की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। द्वितीय पक्ष उक्त समिति की भूमि में कोई

रमा देव



पट्टा अनुबंध विलेख

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 11562

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 320 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 40 योग : 140

श्रीमती सतनामी कन्या विद्या प्रसार समिति रूकनपुर, बुलन्दशहर द्वारा
रमादेवी अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पत्नी श्री देवेश कुमार
व्यवसाय : गृहिणी
निवासी: अरनियां खुर्द तहसील खुरजा जिला बुलन्दशहर

रमादेवी



श्रीमती, सतनामी कन्या विद्या प्रसार समिति
रूकनपुर, बुलन्दशहर द्वारा
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 09/08/2023
एवं 02:23:48 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रमादेवी अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुमन कुमार
उप निबंधक :खुरजा
बुलन्दशहर
09/08/2023

दुर्गेश कुमार सक्सेना
निबंधक लिपिक
09/08/2023


प्रिंट करें




- गैर-कानूनी कार्य नहीं करेगा।
8. यह कि उक्त समिति की भूमि को सतनामी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी रूकनपुर को संचालन हेतु किराये पर दिया गया है।
 9. यह कि उक्त समिति की भूमि की किराये की अवधि समाप्त होने पर द्वितीय पक्ष को उक्त समिति की भूमि की आवश्यकता है तो प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष आपसी रजामन्दी से किरायानामा आगे बढ़ा सकते हैं।
 10. यह कि किरायेनामे की अवधि समाप्त होने पर उक्त समिति की भूमि का अधिकार द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को तर्क-वितर्क व विवाद रहित हस्तान्तरित कर देगा।
 11. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त किसी शर्तों का उल्लंघन करेगा तो वह काबिले बेदखली होगी।
 12. यह कि इस किरायेनामा की नियमबद्धता हम दोनों पक्षों व हमारे उत्तराधिकारियों पर रहेगी। दोनों पक्षों एवं साक्षियों के छायाचित्र स्वयं प्रलेखक द्वारा प्रमाणित हैं।

अतः स्वस्थ चित्त व स्थिर बुद्धि की अवस्था में प्रसन्नतापूर्वक स्वयं की स्वतन्त्र इच्छानुसार दोनों पक्षों के मध्य यह किरायानामा लिखवा दिया, ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

साक्षी नं0 1. जयकिशोर शर्मा पुत्र श्री रामफल शर्मा
निवासी ग्राम नगला अस्सू, तहसील खैर जिला अलीगढ़
Aadhar No. :- XXXX XXXX 9211, Mob. No. :- 7906003106



साक्षी नं0 2. मुकेश चन्द शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा
निवासी ग्राम अरनियां खुर्द, तहसील खुरजा जिला बुलन्दशहर।
Aadhar No. :- XXXX XXXX 8972, Mob. No. :- 9654655861



रमा देवी



रमा देवी



रमा देवी

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 11562

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त पट्टा दाता: 1

श्रीमती सतनामी कन्या विद्या प्रसार समिति रूकनपुर,
बुलन्दशहर के द्वारा रमादेवी, पत्नी श्री देवेश कुमार

निवासी: अरनियां खुर्द तहसील खुरजा जिला बुलन्दशहर

व्यवसाय: गृहिणी

पट्टा गृहीता: 1

रमादेवी



श्री सतनामी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी रूकनपुर के द्वारा
देवेश कुमार, पुत्र श्री नरेशचन्द्र

निवासी: ग्राम अरनियां खुर्द, तहसील खुरजा जिला
बुलन्दशहर

व्यवसाय: अन्य

देवेश कुमार



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

श्री जयकिशोर शर्मा, पुत्र श्री रामफल शर्मा

निवासी: ग्राम नगला अस्सू तहसील खैर जिला अलीगढ़

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2

जयकिशोर शर्मा



श्री मुकेश चन्द शर्मा, पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा

निवासी: ग्राम अरनियां खुर्द तहसील खुरजा जिला
बुलन्दशहर

व्यवसाय: अन्य

मुकेश चन्द शर्मा



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुनील कुमार

उप निबंधक : खुरजा

बुलन्दशहर
09/08/2023

दुर्गेश कुमार सकसैना
निबंधक लिपिक बुलन्दशहर
09/08/2023



HAVI
Advocate
Regd. No. 653185
Civil Court, Khurja, Bulandshahr

HAVI
Advocate
Regd. No. 653185
Civil Court, Khurja, Bulandshahr